न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) इटावा जिला कोटा राज0

मिसल नं.
67/17

तारीख दायरा
01/12/2017

तारीख फैसला
23/12/2019

पीठासीन अधिकारी– श्री रामावतार मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1.राधेश्याम पुत्र श्री हजारीलाल
2.द्वारक्या बाई पुत्री श्री हजारीलाल
3.विमला बाई पुत्री श्री हजारीलाल जातियान जागा निवासीगण खेड़ा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राजस्थान)

वादीगण

बनाम

1.राजाराम
2.रामसिंह पुत्रान श्री लड्डुलाल जातियान गुर्जर निवासीगण खेड़ा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राजस्थान)

प्रतिवादीगण

उपस्थित–
वादीगण की ओर से :– श्री हरिमोहन मीणा एडवोकेट
वाद अन्तर्गत धारा 188 आरटी एक्ट

निर्णय

वादीगण द्वारा दिनांक 01/12/2017 को न्यायालय में अन्तर्गत धारा 188 के तहत निम्न आशय का वाद पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है।

यह कि जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 के मुताबिक नामान्तरण संख्या 227 दिनांक 29/06/2015 के अनुसार खसरा नं0 130 रकबा 0.99 व खसरा नं0 236 रकबा 0.90 हैक्टेयर कृषि आराजी वाके माल ग्राम खेड़ा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान के वादीगण खातेदार कृषक है तथा वादीगण द्वारा खसरा नं0 236 रकबा 0.92 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी गण को मुनाफा काश्त पर दी गई लेकिन वर्ष 2017 में प्रतिवादी गण द्वारा वादीगण को मुनाफा काश्त की राशि अदा नहीं की गई, तथा दिनांक 28/11/2017 को कहा गया कि उक्त भूमि पर हमारा कब्जा है, हम किसी भी तरह का मुनाफाकाश्त नहीं देंगे आदि, जिससे असंतुष्ट होकर वादीगण द्वारा दिनांक 01/12/2017 को प्रतिवादी गण के खिलाफ अन्तर्गत धारा 188 का वाद न्यायालय में पेश किया गया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी गण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड डाक द्वारा सम्मन भिजवाकर सूचित किया गया बावजूद सूचना प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 10/07/2019 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कारवाई की गई। साक्ष्य हेतु वकीलवादी को वकील वादी को अवसर प्रदान किया गया। वकील वादी द्वारा स्वयं वादी राधेश्याम व अन्य गवाह चौथमल के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये गये। राधेश्याम द्वारा वाद पत्र के समर्थन में नक्शा ट्रेस प्रदर्श P1 एवं जमाबन्दी संवत 2067–2071 प्रदर्श P2 पेश किया गया तथा अन्य गवाह चौथमल व राधेश्याम ने भी अपने बयानों में वाद पत्र में विवादित आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में होना बताया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य, स्वंय वादी राधेश्याम व गवाह चौथमल द्वारा शपथपत्र पर दिये गये बयानों तथा जमाबन्दी संवत 2068–2071 जो प्रदर्श P1 के नामान्तरण संख्या 227 दिनांक 29/06/2015 से साफ जाहिर होता है कि वाद पत्र में विवादित आराजी खसरा नं0 236 रकबा 0.92 हैक्टेयर वाके माल ग्राम खेड़ा तहसील पीपल्दा वादीगण के खाते दर्ज है तथा जिसपर वादीगण शांतिपूर्वक रुप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को बेदखल

Scanned by CamScanner

का कोई आधार स्पष्टतः नजर नहीं आता। इस कारण प्रतिवादीगण को वादीगण के शांतिपूर्वक काबिज काश्त में किसी भी तरह की मदाखलत एवं मजाहमत न तो स्वयं द्वारा की जानी चाहिये और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करानी चाहिये। उक्त विवादित आराजी पर वादीगण का शांतिपूर्वक कब्जा बहाल रखा जाता है।

अतः आदेश दिया जाता है कि वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा नं0 236 रकबा 0.92 हैक्टेयर वाके माल ग्राम खेडा तहसील पीपल्दा पर वादीगण का शांतिपूर्वक कब्जा बहाल रखा जावे तथा प्रतिवादी गण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के शांतिपुर्वक काबिज काश्त में किसी भी तरह की मदाखलत एवं मजाहमत न तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी अपने प्रतिनिधि से करावे, तदानुसार डिक्री जारी हो

यह निणर्य आज दिनांक 23/12/2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

रामावतार मीना
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजि.
(फास्ट–ट्रेक) इटावा

Scanned by CamScanner